अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 'मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति' की केन्द्र प्रायोजित योजना

1. पृ-ठभूमि

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम जून, 2006 में घोि-त किया गया था। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की एक योजना कार्यान्वित करने का प्रावधान है।

2. उद्देश्य

मैट्रिक-पूर्व स्तर पर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के माता-पिता को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी कि वे अपने स्कूल जाने लायक बच्चों को स्कूल भेंजे और अपने शिक्षा के संबंधित वित्तीय बोझ को कम करें और अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा को पूरा करने में उनके प्रयासों में सहयोग करें। इस योजना से अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के आधार का निर्माण होगा और रोजगार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भूमिका भी तैयार होगी। इस योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सशक्तीकरण है, जिसमें इस बात की सम्भावना विद्यमान है कि अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

3. योजना का क्षेत्र

यह छात्रवृत्ति, आवासीय सरकारी संस्थानों तथा सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक पारदर्शी तरीके से चयनित और अधिसूचित पात्र निजी संस्थानों सहित कक्षा 1 से 10 तक भारत में अध्ययन के लिए प्रदान की जाएगी।

4. पात्रता

ये छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त न किए हों, और उनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्-िक आय 1 लाख रु. से अधिक न हो।

5. वितरण

रा-ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच छात्रवृत्तियों का वितरण, वर्-ा 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

में उक्त अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या, के आधार पर किया जाएगा। (*इसे बदल दिया जाएगा जब वर्ष 2011 के आंकड़े उपलब्ध होंगे।)

6. छात्राओं के लिए निर्धारण

30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की जाएंगी। यदि पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होंगी तो शे-न निर्धारित छात्रवृत्तियों को पात्र छात्रों को प्रदान किया जाएगा।

7. चयन

अल्पसंख्यकों को प्रतिव-र्ा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या निर्धारित और सीमित होने के कारण यह आवश्यक है कि चयन के लिए वरीयता का निर्धारण किया जाए। छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने के समय अंकों के बजाय निर्धनता स्तर को वरीयता दी जानी है। नवीकरण से संबंधित आवदेनों का निपटान, नए आवेदनों पर विचार किए जाने से पहले, कर दिया जाएगा।

8. अवधि

छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाएगी। अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षिक व-र्ा में 10 माह की अवधि के लिए ही दिया जाएगा।

9. छात्रवृत्ति की दर

प्रवेश शुल्क/शिक्षण शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ते के लिए निम्नानुसार, प्रत्येक संबंधित मद के सामने दर्शाई गई अधिकतम सीमा की शर्त पर, वास्तविक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगीः-

क्र.सं.	मद	हॉस्टलवासी*	दिवास्कॉलर
1.	कक्षा 6 से 10 के लिए प्रवेश शुल्क	वास्तविक या 500 रु. प्रतिव-र्ा	वास्तविक या 500 रु. प्रतिव-र्ा
2.	कक्षा 6 से 10 के लिए शिक्षण शुल्क	वास्तविक या 350 रु. प्रतिमाह	वास्तविक या 350 रु. प्रतिमाह
3.	एक शैक्षिक व-र्ा में केवल 10 मास के लिए ही अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा		
	(i) कक्षा 1 से 5	शून्य	100 रू0 प्रतिमाह
	(ii) कक्षा 6 से 10	वास्तविक या 600 रू. प्रतिमाह	100 रु. प्रतिमाह

*हॉस्टलवासियों में वे छात्र शामिल हैं जो संबंधित स्कूल/संस्थान के हॉस्टल में या जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहते हों।

10 कार्यान्वयन अभिकरणें

यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

11 छात्रवृत्ति के लिए शर्तें

(i) ये छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को उपलब्ध होगी, जो कक्षा 1 से 10 में अध्ययन कर रहे हैं। छात्रवृत्ति को जारी रखना पिछली अंतिम परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने की शर्त पर होगा। अनुरक्षण भत्ता हॉस्टलवासी और दिवास्कॉलरों को प्रदान किया जाएगा।

(ii) छात्रवृत्ति को बंद कर दिया जाएगा यदि कोई छात्र वार्निक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, किन्तु उन अपरिहार्य कारणवश छात्रवृत्ति बंद नहीं की जाएगी, जिसके कारण को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उसकी अनुशंसा की गई हो।

(iii) ये छात्रवृत्ति एक परिवार में दो से अधिक छात्रों को नहीं दी जाएगी।

(iv) छात्रों को उपस्थिति में नियमित होना चाहिए, जिसके लिए स्कूल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानदण्ड का निर्धारण किया जाएगा।

(v) आय का प्रमाण–पत्र : स्वरोजगार में लगे माता-पिता के लिए नियोक्ता से आय का प्रमाण-पत्र, या राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(vi) संबंधित स्कूल/संस्थान के हॉस्टल में न रहने वाले छात्र के बाहरी छात्र होने के दावे को स्कूल/संस्थान प्रमाणित करेंगे।

(vii) एक स्कूल/संस्थान से दूसरे स्कूल/संस्थान में छात्र का आव्रजन, शैक्षिक वर्न के दौरान, अपवादजन्य परिस्थियों को छोड़कर छात्र के शैक्षिक कैरियर के हित में, प्रायः नहीं होगा।

(viii) यदि कोई छात्र अनुशासन का अथवा छात्रवृत्ति की किसी अन्य निबंधन व शर्त का उल्लंघन करता है तो छात्रवृत्ति को निलम्बित या रद्द किया जा सकता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी सीधे इसको रद्द कर सकते हैं यदि वे योजना को शासित करने वाले विनियमों के उल्लंघन के कारणों से संतु-ट हैं।

(ix) यदि कोई छात्र गलत विवरण द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करता हुआ पाया जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और दी गई छात्रवृत्ति की रा़शि को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विवेकाधिकार से वसूल किया जाएगा।

(x) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियों पर आगे कार्रवाई करने और स्वीकृति के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेंगे।

(xi) पाठ्यक्रम शुल्क/शिक्षण शुल्क को स्कूल/संस्थान के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इसे बैंकों के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक तरीके से अंतरित करने के प्रयास किए जाएंगे।

(xii) अनुरक्षण भत्ते को छात्र के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इसे बैंकों के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक तरीके से अंतरित करने के प्रयास किए जाएंगे।

(xiii) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, मंत्रालय से प्राप्त निधियों से संबंधित एक रिकार्ड रखेंगे और इसका मंत्रालय के अधिकारियों या मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

(xiv) इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र को, इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य छात्रवृति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xv) कोई छात्र सभी स्रोतों अर्थात् एससी/एसटी/ओबीसी के लिए केवल एक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा।

(xvi) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र, जो अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत लोगों के बच्चे और अन्य पिछड़ा वर्ग से भी संबंधित हो सकते हैं, इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त न करें और केवल एक ही स्रोत से इसे प्राप्त करें तथा ऐसी छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभागों की एक समिति का गठन करेंगे।

(xvii) बाद के व-र्ों में छात्रवृत्तियों के वितरण हेतु धन राशि तभी जारी की जाएगी जब पिछले व-र् जारी की गई धन राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए।

(xviii) इस योजना का मंत्रालय या मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन की लागत, योजना के प्रावधान के

अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।

(xix) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों के सभी संगत ब्यौरों को अपनी वेबसाइट पर रखेंगे।

(xx) इन विनियमों को भारत सरकार के विवेकाधिकार से किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है।

12. प्रशासनिक व्यय

चूंकि प्रविष्टि किए जाने और प्रोसेस किए जाने वाले डाटा की मात्रा काफी होगी और यह स्कीम वर्ष-दर-वर्ष कार्यान्वित रहनी है, अतः शुरू से ही अर्हता प्राप्त कुशल एवं पात्र कार्मिक को लगाने की जरूरत होगी ताकि यह सुनिश्चित किए जा सके कि आंकड़ा-आधारित कम्प्यूटर प्रणाली क्रियाशील रहें। इस उद्देश्य से डिजाइन किए गए कम्प्यूटर प्रोग्राम अर्थात् आंकड़ें प्रवि-टी, संसाधन, विश्ले-ण, निगरानी, पुनः प्राप्ति (रिट्रीव) और अंतरण आदि कार्य में अर्हता प्राप्त, कुशल एवं पात्र कार्मिक को आवश्यकतानुसार अनुबंध आधार पर भी कार्य पर रखा जाना चाहिए राज्यों/संघ शासित राज्यों से प्राप्त आंकड़ों का रख-रखाव मंत्रालय में इसी तरह की विशे-नज्ञता प्राप्त कार्मिकों द्वारा ही किया जाएगा, जिन्हें अनुबंध आधार पर रखा जाएगा।

प्रशासनिक और सम्बद्ध लागतों अर्थात् राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कम्प्यूटरों और सहायक-सामग्रियों, फर्नीचर, आवेदन-प्रपत्र के मुद्रण, विज्ञापनों, कार्मिकों की तैनाती आदि सहित कार्यालय उपकरणों पर किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कुल बजट के 1% से अनधिक का प्रावधान किया जाएगा। इस प्रावधान का उपयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लगाए गए बाहर के प्रतिष्ठित संस्थानों/एजेंसियों के माध्यम से योजना के मूल्यांकन और निगरानी कार्य के लिए भी किया जाएगा।

13. छात्रवृत्ति का नवीकरण

किसी पाठ्यक्रम के लिए एक बार छात्रवृत्ति प्रदान कर दिए जाने के बाद आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए उसका नवीकरण किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यार्थी परीक्षा में 50% अंक अर्जित करने के आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे ।

14. योजना की घो-णा

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्कीम की घो-णा अग्रणी भा-ा समाचार पत्रों

और स्थानीय दैनिकों जनभाषा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर और प्रचार के अन्य उपयुक्त माध्यमों द्वारा, समय पर की जाएगी।

15. आवेदन-प्रक्रिया

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कम्प्यूटरीकरण प्रणाली को कार्यरत कर दिए जाने तक संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आवेदन-प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। भरे हुए आवेदन-प्रपत्र अपेक्षित प्रमाण-पत्रों के साथ नियत समय में पुनः वापिस प्राप्त किए जाने चाहिएं।

16. वित्तीय सहायता की पद्धति

केन्द्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण 75:25 के अनुपात में होगा। तथापि, सत्र 2014–15 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना बनने पर वित्त–पोषण 100 प्रतिशत होगा। संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

17. निगरानी और पारदर्शिता

योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के वित्तीय और वास्तविक कार्य-नि-पादन की निगरानी करेंगे। इस प्रयोजन के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तंत्र की व्यवस्था की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना की वित्तीय और वास्तविक प्रगति से संबंधित तिमाही रिपोर्ट मंत्रालय में प्रस्तुत की जाएगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों के व-र्वार ब्यौरे रखे जाएंगे, जिसमें स्कूल/संस्थान, स्कूल/संस्थान का स्थान, स्कूल सरकारी है या निजी, कक्षा, लिंग, नया या नवीकरण, स्थायी पता और माता-पिता के पते का उल्लेख होगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी शासकीय वेबसाइट पर संगत वास्तविक एवं वित्तीय ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे।

18. मूल्यांकन

योजना की वित्तीय और वास्तविक कार्य-नि-पादन की निगरानी का मूल्यांकन, उन ख्याति-प्राप्त संस्थानों/एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा, जिन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन के लिए नियत किया गया हो।

****